लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583659
ई–मेल dpividhya@yahoo.com

क्रमांक/2009/टी/633 भोपाल, दिनांक 20/07/09

प्रति,

समस्त जिला जिला शिक्षा अधिकारी,,
मध्यप्रदेश

विषय :– विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत दावा प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष प्रयास एवं विधिक कार्यवाही के संबंध में।

प्रदेश के शासकीय विद्यालयो में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना वर्ष 1994 से संचालित है। वर्ष 2006 –07 में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को बीमा कर्ता के रूप में अनुबंधित किया गया था तथा युनाइटेड जनरल इंश्योरंस कम्पनी इंदौर तथा ओरियण्टल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा भी सहभागिता की गई थी। इनके द्वारा एक रूपये प्रतिछात्र की दर पर 25,000/– का रिस्क कवर प्रदाय किया गया। वर्ष 2007–08 में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी को अनुबंधित किया गया। जिसके द्वारा एक रूपये प्रीमियम दर पर 35,000/– का रिस्क कव्हर प्रदाय किया गया। वर्ष 2008–09 में चोलामंडलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी इंदौर को अनुबंधित किया गया। जिसमें एक रूपये प्रीमियम पर 50,100/– रिस्क कव्हर दिया गया।

विधानसभा बजट सत्र 2009 के दौरान विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 261 दिनांक 10/07/2009 तारांकित प्रश्न क्रमांक 4180 दिनांक 16/07/2009 तथा तारांकित प्रश्न क्रमांक 149 दिनांक 25/07/2009 उद्भूत हुए है जिसमें जिलों में विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना के लंबित प्रकरणों तथा उनके निराकरण के संबंध में जानकारी चाही गयी है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा वर्ष 2006–07 में 270 प्रकरण, वर्ष 2007–08 में 958 प्रकरण तथा वर्ष 2008–09 में 836 प्रकरण लंबित बताए गये हैं **(परि.शिष्ट एक)** इससे स्पष्ट होता है कि कंपनियों द्वारा लंबित प्रकरणों के निराकरण की स्थिति असंतोषजनक है तथा ऑकड़ों से यह भी परिलक्षित होता है कि जिला स्तर पर प्रकरणों के निराकरण हेतु समुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है।

2. बीमा कंपनियों से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण से निम्नांकित तथ्य स्पष्ट होते है :–

2.1. बीमा कंपनी द्वारा अनेक दावा प्रकरण विलंब से प्राप्त होने के कारण निरस्त/विचाराधीन कर दिये जाते है। उक्त तीनो कंपनियों में से चोलामण्डलम् एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी, इंदौर क्षेत्र ने वर्ष 2008–09 में सबसे अधिक प्रकरण विलंब से प्राप्त होने के कारण निरस्त किये। कंपनी में अभी तक कुल 1437 प्रकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें से विलंब से प्राप्त प्रकरण 852 हैं। इसमें से 286 निरस्त हो चुके हैं 566 विचाराधीन प्रकरण है जो कि देर–सवेर निरस्त किये जा सकते हैं। वस्तुतः वर्ष 2007–08 एवं वर्ष 2008–09 मे संबंधित बीमा कंपनी के साथ किये गये अनुबंधों के अनुसार विद्यार्थी के साथ हुई किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सूचना कंपनी को 15 दिवस में मिल जानी चाहिए **किन्तु इस अनुबन्ध का आशय यह कदापि नहीं है कि यदि 15 दिवस में सूचना नहीं मिले तो कंपनी प्रकरण ही निरस्त कर दे।** यह सर्वविदित है कि अधिकांश सरकारी विद्यालय दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं तथा संचार साधन अत्यन्त अल्प हैं। इसके अतिरिक्त जिस घर में इस प्रकार की दुर्घटना होती है लगभग 15 दिन तक तो वह परिवार उस दुःख से उबर ही नहीं पाता। पूर्व वर्षो में अन्य कंपनियों से किये गये अनुबन्ध में भी 15 दिवस में सूचना भेजने का उल्लेख रहता था किन्तु इसके आधार

पर अन्य कंपनियों ने कभी इतनी अधिक संख्या में प्रकरण निरस्त नहीं किये। **अतः विलम्ब के आधार पर प्रकरण निरस्त करना उचित नहीं हैं।**

2.2. बीमा कंपनियों द्वारा प्रकरण निरस्त करने का दूसरा प्रमुख कारण अभिलेखों का प्राप्त न होना बताया गया है। वर्तमान वर्ष 2008–09 में चोलामण्डल द्वारा 32 प्रकरण अभिलेख प्राप्त न होने के कारण प्रकरण विचाराधीन हैं तथा 19 प्रकरण निरस्त कर दिये गये हैं। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी, इंदौर द्वारा विगत छः माह में 90 प्रतिशत प्रकरणों को अभिलेखों की पूर्ति न होने के कारण बंद/निरस्त कर दिये गये हैं। **अतः जिन प्रकरणों में आवश्यक अभिलेख नहीं है उन्हें अमान्य न करते हुये उनकी पूर्ति हेतु बीमा कंपनियों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों/संबंधित को सूचना भेजना चाहिए तथा अभिलेख की पूर्ति हेतु प्रयास करना चाहिए।**

2.3. वर्तमान सत्र में विभिन्न विधानसभा प्रश्नों के तारतम्य में जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के भुगतान किये जाने वाले प्रकरणों की संख्या 295 तथा चोलामण्डलम् एम.एस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भुगतान किये गये प्रकरणों की संख्या 124 बताई गई है जबकि इन कंपनियों द्वारा भुगतान किये जाने वाले प्रकरण अधिक संख्या में कमशः 314 एवं 143 बताई जा रही है। इस व्याप्त विसंगति का कारण यह है कि अनेक प्रकरणों में कम्पनी द्वारा चेक द्वारा भुगतान किया जाना बताया जा रहा है किन्तु संबंधित जिले द्वारा उक्त चेक की पहुँच नहीं बताई जा रही है। कम्पनियों के साथ किये गये अनुबन्धों में स्पष्ट उल्लेख है कि पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर बीमा कम्पनी दावा स्वीकृत कर भुगतान का चेक माता–पिता के नाम से संबंधित विद्यालय को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भेजा जायेगा किन्तु कंपनी द्वारा इसका पालन नहीं किया गया। चेक अपंजीकृत डाक से सीधे क्लेमेंट को भेजना बताया जा रहा है जो संदिग्ध है। ऐसे प्रकरणों में **चेक जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना आवश्यक है।**

2.4. चोला मंडलम् जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ किये गये अनुबंध की कंडिका **3 की उपकंडिका 5** के अंतर्गत चिकित्सा खर्च राशि रुपये 5000/– दिये जाने का प्रावधान है किन्तु कंपनी द्वारा चिकित्सा देयक के आधार पर 50/– रुपये से लेकर 5000/– रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है। यदि चिकित्सा देयक रुपये 5000/– से अधिक है तो कंपनी अधिकतम सीमा केवल रुपये 5000/– का ही भुगतान करती है तो कम राशि का देयक होने पर रुपये 5000/– का भुगतान क्यों नहीं करती ? पूर्व वर्षो में अन्य कंपनियों द्वारा निर्धारित राशि का पूर्ण भुगतान किया जा रहा है। **अतः कंपनी द्वारा चिकित्सा खर्च 5000/– का ही भुगतान करना चाहिए।**

2.5 कतिपय प्रकरणों में पोस्ट मार्टम एवं एफ.आई.आर आदि रिपोर्ट न होने के कारण प्रकरण निरस्त/विचाराधीन है। अनुबंधो अनुसार ऐसे प्रकरणों में संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण पर्याप्त है। अतः प्रमाणीकरण भिजवाना आवश्यक है ताकि कंपनी प्रकरण का निराकरण/पुनर्विचार कर सके।

3.. उपर्युक्त से स्पष्ट है कि बीमा कंपनियों द्वारा अनावश्यक आपत्तियों द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने में देरी की जा रही है जिससे पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति राशि समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। साथ ही मनमाने रूप से प्रकरणों को निरस्त किया जा रहा है ऐसी स्थिति में शासन की इस योजना का लाभ संबंधित परिवार को प्राप्त नहीं हो रहा है।अतः निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :–

3.1 जिन प्रकरणो में यह स्पष्ट हो कि इसमें कंपनी को भुगतान करना था किन्तु कंपनी ने अनावश्यक रूप से आपत्तियां लगाकर प्रकरण निरस्त कर दिया है ऐसे प्रकरणों में कंपनी से पुनर्विचार हेतु औचित्य सहित अनुरोध किया जाये।

3.2 जो प्रकरण अनावश्यक रूप में लंबित हैं उनके शीघ्र निराकरण की कार्यवाही की जाये।

3.3 जिन प्रकरणों में आवश्यक अभिलेखों की पूर्ति की जाना हो ऐसे प्रकरणों की पूर्ति संस्था प्रधानों के माध्यम से शीघ्र की जाये।

4. आवश्यक होने पर बीमा कंपनियों के विरूद्ध जिला कलेक्टर के सहयोग से आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाये जिससे पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध हो सके।

(बी.आर.नायडू)
आयुक्त
लोक शिक्षण एवं सचिव
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठां0 क्रमांक/2009/टी/634 भोपाल, दिनांक 20/07/09

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक मान. मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल।
2. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय।
3. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र
4. आयुक्त आदिवासी विकास विभाग
5. समस्त संभागायुक्त, (राजस्व) मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश की ओर भेजकर अनुरोध है कि जिला शिक्षा अधिकारी के अनुरोध पर बीमा कंपनियों के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाये जिससे पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध हो सके।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश। संभाग अन्तर्गत प्रकरणों में उक्त अनुसार कार्यवाही का पालन सुनिश्चित किया जाये।
8. क्षेत्रीय प्रबंधक, न्यू इंडिया इन्योरेन्स कंपनी, तथायूनाइटेड इन्योरेंस कंपनी,ओरियन्टल लिमिटेड मण्डल कार्यालय–2, भोपाल सहयोगी कंपनी।
9. क्षेत्रीय प्रबंधक, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड , 101–102 डीएम टॉवर,नारायण कोठी के पास इन्दौर ।
10. क्षेत्रीय प्रबंधक, चोलामंडलम् एम.एस.जनरल इंश्योरेंस कंपनी, 501–502, इन्डस्ट्री हाउस, ए.बी.रोड़, इन्दौर की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त के प्रकाश में प्रकरणों का निराकरण/पुनर्विचार किया जाये।

आयुक्त
लोक शिक्षण एवं सचिव
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग

परिशिष्ट–एक

विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत लंबित प्रकरण

स. क्र	जिले का नाम	विचाराधीन प्रकरणों की संख्या 2006–07	विचाराधीन प्रकरणों की संख्या 2007–08	विचाराधीन प्रकरणों की संख्या 2008–09
1	ग्वालियर	0	5	7
2	भिण्ड	8	6	7
3	मुरैना	3	7	9
4	शिवपुरी	0	23	18
5	गुना	0	27	24
6	दतिया	0	6	8
7	श्योपुरकलां	4	1	4
8	अशोकनगर	0	3	9
9	भोपाल	0	5	8
10	विदिशा	38	56	33
11	सीहोर	0	19	10
12	रायसेन	13	15	20
13	राजगढ़	0	10	21
14	होशंगाबाद	23	3	15
15	हरदा	0	3	10
16	बैतूल	16	41	15
17	इन्दौर	0	0	15
18	खरगौन	0	80	57
19	खण्डवा	20	11	12
20	बुरहानपुर	0	2	0
21	धार	0	27	39
22	बडवानी	0	19	24
23	झाबुआ	16	7	12
24	उज्जैन	0	24	18
25	देवास	0	16	9
26	शाजापुर	0	11	11
27	रतलाम	0	14	10
28	मन्दसौर	3	0	15
29	नीमच	0	10	9
30	सागर	0	14	44
31	दमोह	4	12	16
32	पन्ना	4	6	9
33	छतरपुर	4	12	15
34	टीकमगढ	6	20	11
35	रीवा	0	46	5
36	सतना	0	71	25
37	सीधी	0	29	25
38	शहडोल	0	0	9

surbhi 90709

39	उमरिया	0	1	0
40	अनुपपूर	0	6	2
41	जबलपुर	0	12	28
42	मण्डला	15	16	5
43	बालाघाट	55	88	45
44	सिवनी	10	72	31
45	नरसिंहपुर	16	25	24
46	डिण्डोरी	0	2	0
47	छिन्दवाड़ा	0	49	60
48	कटनी	12	26	33
योग		**270**	**958**	**836**

surbhi 90709